न्यूज़ टुडे

विश्व धरोहर समुद्री स्थलों (WHMS) में यूनेस्को का पर्यावरणीय DNA (eDNA) अभियान चलाया गया

यूनेस्को की एक रिपोर्ट में **समुद्र के गर्म होने के कारण समुद्री जीवों के अस्तित्व के समक्ष बढ़ते खतरे को रेखांकित** किया गया है। यह रिपोर्ट **eDNA अभियानों** पर आधारित है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है- **'समुद्री जीवन की सुरक्षा के लिए समुदायों को शामिल करना।'**

यूनेस्को के eDNA अभियान के बारे में

- **वैश्विक नागरिक विज्ञान पहल:** इसका उद्देश्य यूनेस्को के WHMS में समुद्री जैव विविधता को मापना है। साथ ही, WHMS में प्रजातियों के वितरण पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन भी करना है।
- **eDNA सैम्पलिंग अभियान** सितंबर 2022 से जुलाई 2023 के बीच **यूनेस्को के 51 में से 21 WHMS** में आयोजित किए गए थे।

पर्यावरणीय DNA (eDNA) के बारे में

- eDNA वह **आनुवंशिक सामग्री है, जो सजीवों द्वारा अपने पर्यावरण में निर्मुक्त** की जाती है। इसमें पर्यावरणीय नमूनों से एकत्रित **कोशिकाओं, ऊतकों, तरल पदार्थों और मल जैसे स्रोतों से निकाला गया** DNA शामिल होता है।
- **eDNA का महत्त्व:**
  - **बड़े पैमाने पर उपयोग: भौगोलिक दृष्टि से दूर और विशाल क्षेत्रों** के लिए eDNA सैम्पलिंग की जा सकती है।
  - **मजबूत प्रौद्योगिकी:** यह अन्य बायो-मॉनिटरिंग विधियों की तुलना में **अत्यधिक संवेदनशील और तीव्र विधि है।**
  - **संधारणीय:** यह एक **गैर-हानिकारक विधि** है, जिससे पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है।
  - **अन्य लाभ:** इसमें कम लागत पर सैंपल को एकत्रित करना; **दुर्लभ, अस्थायी और आक्रामक प्रजातियों का पता लगाने** की क्षमता आदि शामिल है। उदाहरण के लिए **बेलीज़ में आक्रामक लायनफिश का पता लगाना।**
- **eDNA की सीमाएं:**
  - **सीमित डेटा:** eDNA केवल संबंधित जीव की उपस्थिति की पुष्टि करता है, लेकिन जीवों की संख्या, आकार, लिंग, या जीवन चरण की जानकारी नहीं देता है।
  - **पहचान की समस्या:** DNA रेफरेंस डेटाबेस में कई प्रजातियों की अनुपस्थिति के कारण पहचान में समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
  - **अन्य समस्याएं:** इसमें संदूषण की संभावना; लैब में सैंपल विश्लेषण की उच्च लागत आदि शामिल हैं।

यूनेस्को विश्व धरोहर समुद्री स्थलों (WHMS) के बारे में

- ये विश्व के **ब्लू कार्बन इकोसिस्टम का पांचवां हिस्सा** कवर करते हैं और वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लगभग **10% के बराबर कार्बन स्टोर** करते हैं।
  - भारत का **सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी यूनेस्को WHMS है।**
- IUCN के अनुसार, इन स्थलों में से **70% से अधिक जलवायु परिवर्तन से प्रभावित** हैं। ये लगभग **35% संकटग्रस्त समुद्री प्रजातियों का पर्यावास** भी हैं।
- ये वैश्विक स्तर पर **18,000 से अधिक समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (Marine Protected Areas: MPAs) के नेटवर्क के लिए मॉडल** के रूप में काम करते हैं।
  - भारत में **26 MPAs प्रायद्वीपीय क्षेत्र में और 106 MPAs द्वीपों** में स्थित हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला सेना अधिकारी को स्थायी कमीशन प्रदान करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने **लेफ्टिनेंट कर्नल सुप्रिता चंदेल बनाम भारत संघ और अन्य वाद** में महिला सेना अधिकारी को स्थायी कमीशन प्रदान करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के **अनुच्छेद 142** के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश दिया है।

- **मामले की पृष्ठभूमि: मूल नीति में 2013 में संशोधन** के बाद सशस्त्र बल अधिकरण ने अन्य आवेदकों को **एक बार आयु में छूट देकर राहत** प्रदान की थी।
  - हालांकि, अपीलकर्ता को इसका लाभ नहीं दिया गया, क्योंकि वह मूल मामले में पक्षकार नहीं थीं।
- **सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:** 'जो राहत समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को दी गई है, उसे उन व्यक्तियों को भी स्वतः प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने कोई याचिका दायर नहीं की है।
  - कोर्ट ने इस फैसले के लिए **अमृतलाल बेरी (1975) और के.आई. शेफर्ड केस (1987)** जैसे पुराने फैसलों का हवाला दिया।

महिला सैन्य कर्मियों को स्थायी कमीशन

- **वर्ष 1992** में, केंद्र सरकार ने पहली बार महिलाओं को सेना के कुछ कैडर, जैसे **शॉर्ट सर्विस कमीशन और आर्मी सर्विस कोर** आदि में शामिल होने की अनुमति दी थी।
- **2020 तक,** महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन (सेवानिवृत्ति की आयु तक) के रूप में **नियुक्त करने की अनुमति नहीं थी।**
  - उन्हें **शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी** के रूप में नियुक्त किया जाता था, जिसका कार्यकाल **10+4 वर्ष** का होता था।
- सुप्रीम कोर्ट ने **बबीता पुनिया एवं अन्य वाद (2020) में महिला सैन्य कर्मियों को स्थायी कमीशन** देने का आदेश दिया था। साथ ही, उन्हें **कमांड पदों पर नियुक्ति** के लिए योग्य माना था।
  - कोर्ट ने कहा कि महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन से वंचित करना **संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।**

अनुच्छेद 142 के बारे में

- यह अनुच्छेद शीर्ष न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में **'पूर्ण न्याय' करने के लिए डिक्री या आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान** करता है।
  - इस प्रकार पारित किसी भी **डिक्री या आदेश को पूरे भारत में लागू** किया जा सकता है। इसका वही प्रभाव होगा, जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून का होता है या राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश का होता है। यह डिक्री या आदेश संसद द्वारा इस हेतु बनाए गए कानून के तहत लागू होगा।

राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) ने 'भारत में तस्करी' रिपोर्ट 2023-24 जारी की

राजस्व आसूचना निदेशालय (Directorate of Revenue Intelligence) का **गठन 1957** में किया गया था। यह **केंद्रीय वित्त मंत्रालय के संगठन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड** के अधीन कार्य करता है। यह **भारत में तस्करी-रोधी शीर्ष एजेंसी** है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- DRI ने **1319 किलोग्राम सोना जब्त** किया है। इनमें **सड़क और हवाई मार्गों** से क्रमशः **55% व 36%** जब्ती हुई है।
- भारत में तस्करी के जरिए लाई जाने वाली **कोकीन की मात्रा में 9% की वृद्धि** दर्ज की गई है। इसकी तस्करी मुख्य रूप से **हवाई अड्डों** के जरिए की जाती है।
- DRI ने अवैध वन्यजीव उत्पाद, विशेष रूप से **लगभग 53.49 किलोग्राम वजन के हाथी दांत** जब्त किए।

भारत में तस्करी का खतरा क्यों है?

- **भौगोलिक अवस्थिति:** भारत ड्रग-तस्करी के मुख्य मार्गों के निकट स्थित है। **ड्रग-तस्करी के मुख्य मार्ग निम्नलिखित हैं:**
  - **डेथ क्रिसेंट:** इसमें **अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान** शामिल हैं; तथा
  - **डेथ ट्रायंगल:** इसमें **म्यांमार, लाओस और थाईलैंड** शामिल हैं।
- **भारत की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं:** भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की कई जगह बाड़बंदी नहीं की गई है। इसके अलावा, इन सीमाओं पर कई जगह पहाड़, पठार या नदियां अवस्थित हैं। साथ ही, भारत का समुद्री तट 7500 किलोमीटर लंबा है। इन जगहों की चौबीसों घंटे निगरानी करना मुश्किल होता है।
- **देश में तस्करी वाली वस्तुओं की अधिक मांग:** स्वर्ण आभूषणों के प्रति परंपरागत लगाव, बढ़ती युवा आबादी और नशीले पदार्थों की मांग जैसे कारक भारत को एक आकर्षक बाजार बनाते हैं।
- **आर्थिक कारण:** वस्तुओं पर अधिक कर, वस्तुओं के मूल्यों में अंतर जैसी वजहें भी तस्करी को बढ़ावा देती हैं। उदाहरण के लिए- भारत की तुलना में **दुबई और बैंकॉक में सोने की कीमत कम** है।

आगे की राह

- **अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग बढ़ाना:** उदाहरण के लिए- विश्व सीमा शुल्क संगठन ने **ऑपरेशन टेंटेकल (Operation Tentacle)** लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य विमान यात्रियों द्वारा **मुद्रा, हीरे और सोने की तस्करी पर नजर** रखना है।
- **सीमा और तटीय सुरक्षा को मजबूत करना:** सीमा प्रबंधन को एकीकृत करना, सीमाओं की निगरानी बढ़ाना, रडार व गश्त के माध्यम से तटीय निगरानी करना जैसे उपाय किए जा सकते हैं।
  - सीमाओं की निगरानी में **थर्मल इमेजिंग, मोशन सेंसर** आदि का उपयोग किया जा सकता है।

तस्करी को रोकने के लिए उठाए गए कदम

- **वैश्विक कदम:**
  - **मादक पदार्थों और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC)** का गठन किया गया है।
  - **पेरिस पैक्ट इनिशिएटिव** का उद्देश्य नारकोटिक्स के खिलाफ कार्य करने वाली एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करना है।
  - **वन्य जीवों और वनस्पतियों की एंडेंजर्ड प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)** के तहत वन्य-जीवों के व्यापार को नियंत्रित किया गया है।
- **भारत द्वारा उठाए गए कदम:**
  - **नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (NDPS) अधिनियम, 1985** लागू किया गया है। इसका उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना है।
  - **खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमा-पार आवाजाही) संशोधन नियम, 2023** लागू किया गया है।
  - **वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो** का गठन किया गया है।

IIT मद्रास ने भारत के पहले हाइपरलूप ट्रैक का परीक्षण किया

IIT मद्रास ने **भारत के पहले हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक** का अनावरण किया है। इस ट्रैक की लंबाई 410 मीटर है। यह ट्रैक **भारतीय परिस्थितियों में हाइपरलूप की व्यावहारिकता को सत्यापित करने के लिए एक प्रोटोटाइप** के रूप में कार्य करेगा।

- **मुंबई-पुणे रूट को भारत के पहले फुल स्केल हाइपरलूप सिस्टम** के लिए चुना गया है।

हाइपरलूप क्या है?

- **हाइपरलूप के बारे में:** हाइपरलूप **हाई स्पीड वाली परिवहन प्रणाली** है। इस प्रणाली में निम्न-दबाव वाली **ट्यूब** होती है। इस ट्यूब से होकर **कैप्सूल या पॉड बिना किसी घर्षण और बिना वायु-प्रतिरोध के गमन** कर सकते हैं।
  - इसे परिवहन प्रणाली को सबसे पहले **2013 में एलोन मस्क** ने प्रस्तावित किया था।
- **मुख्य घटक और कार्य प्रणाली:**
  - **ट्यूब:** नियर-वैक्यूम ट्यूब **वायु प्रतिरोध को कम** करती है। इसकी वजह से कैप्सूल हाई स्पीड पर गमन कर पाता है।
  - **कैप्सूल/ पॉड:** यह यात्रियों या वस्तुओं को ले जाने वाले वाहन की तरह होता है। पॉड ट्रैक को स्पर्श किए बिना उसके ऊपर गति करने के लिए **मैग्नेटिक लेविटेशन** का उपयोग करता है। इससे ट्रैक के साथ घर्षण की संभावना समाप्त हो जाती है।
  - **कंप्रेसर:** यह हवा को खींचता है और कैप्सूल को कम दबाव वाली ट्यूब से गुजरने में मदद करता है।
  - **सस्पेंशन:** एयर बेयरिंग सस्पेंशन **वजन को सहने तथा सुचारू और घर्षण रहित गति के लिए दबाव-युक्त वायु की एक पतली परत** का उपयोग करता है।
  - **प्रणोदन या प्रोपल्शन: लीनियर इंडक्शन मोटर्स** का उपयोग करके पॉड को आगे बढ़ाया जाता है।
- **हाइपरलूप का महत्व:**
  - **हाई स्पीड:** इस परिवहन प्रणाली में पॉड **1,100 किलोमीटर प्रति घंटा** तक की गति से गमन कर सकता है। हालांकि, इसे आमतौर पर लगभग **360 किलोमीटर प्रति घंटा** की गति से चलाया जाएगा।
  - **कोई उत्सर्जन नहीं:** पूरी हाइपरलूप प्रणाली **सौर पैनलों** द्वारा संचालित होती है।

हाइपरलूप को आम परिवहन साधन बनाने के समक्ष चुनौतियां

- **अवसंरचना संबंधी चुनौतियां:** शुरुआती लागत काफी अधिक आती है तथा रूट निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया जटिल है। इसके अलावा, रूट में सभी जगह की जमीन एक जैसी नहीं होती है।
- **विनियामक मंजूरी मिलने में परेशानी:** हाइपरलूप के लिए अलग से विनियामक फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है, और सुरक्षित परिवहन साधन को सर्टिफिकेट देने में भी चुनौतियां मौजूद है। साथ ही, पर्यावरणीय मंजूरी मिलना भी आसान नहीं है, आदि।
- **तकनीकी बाधाएं:** हाइपरलूप के बारे तकनीकी अनुभव और विशेषज्ञों की कमी है। इसके व्यापक परीक्षण के लिए सुविधाओं की कमी है, आदि।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने लोक सभा में वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2024 पेश किया

इस विधेयक का उद्देश्य **वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की जगह** लेना है।

- इस विधेयक का लक्ष्य **वाणिज्य पोत-परिवहन (Merchant Shipping) से संबंधित कानून को एकीकृत और संशोधित** करना है। इससे भारत द्वारा हस्ताक्षरित **समुद्री संधियों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत दायित्वों का पालन** सुनिश्चित हो सकेगा।

इस विधेयक की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर

- **राष्ट्रीय पोत-परिवहन बोर्ड की स्थापना:** यह भारतीय पोत-परिवहन से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देगा।
  - बोर्ड को अपने कार्य-संचालन के लिए **अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।**
- **समुद्री प्रशासन:** केंद्र सरकार "समुद्री प्रशासन के महानिदेशक (Director-General of Maritime Administration)" के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति करेगी।
- **पोत का पंजीकरण: स्वामित्व के लिए पात्र होंगे-**
  - अनिवासी भारतीय या भारतीय मूल के विदेशी नागरिक सहित भारत के नागरिक;
  - किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित कंपनी/ निकाय, जिसका पंजीकृत कार्यालय भारत में हो।
- **भारतीय पोत या शेयर का हस्तांतरण:** जब भारत या उसके किसी क्षेत्र की सुरक्षा को किसी भी तरह के प्रतिबंध, युद्ध, बाहरी आक्रमण या आपातकाल के दौरान खतरा हो, तो कोई भी व्यक्ति किसी भारतीय पोत या उसके शेयर को हस्तांतरित या अधिग्रहित नहीं कर सकेगा।
- **प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण:** प्रत्येक पोत को प्रदूषण की रोकथाम हेतु संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के प्रावधानों का पालन करना होगा, जैसे:
  - MARPOL कन्वेंशन;
  - एंटी-फाउलिंग सिस्टम कन्वेंशन, आदि।

इस विधेयक की आवश्यकता क्यों है?

- देश में वाणिज्यिक पोतों के लिए **स्वामित्व संबंधी मानदंड को स्पष्ट और सरल बनाने तथा भारतीय ध्वज वाले पोतों हेतु परिचालन को आसान बनाने** के लिए;
- समुद्री दुर्घटनाओं से निपटने वाले **अलग-अलग विनियमों को सरल बनाने सहित प्रदूषण फैलाने वाले पोत के खिलाफ कठोर मानदंड** लागू करने के लिए;
- राष्ट्रीय हित के लिए सर्वोत्तम तरीके से **भारतीय पोत-परिवहन का विकास करना और भारतीय वाणिज्यिक समुद्री बेड़े का रखरखाव** सुनिश्चित करना।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने ALMM आदेश, 2019 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की

मंत्रालय ने **सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल (ALMM) आदेश, 2019 के स्वीकृत मॉडल्स और मैन्युफैक्चर्स** में संशोधन की घोषणा की है। इसका कदम का उद्देश्य घरेलू सौर उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देना है।

संशोधन की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर:

- **ALMM सूची-II (सोलर PV सेल्स) का परिचय:** सभी सरकार समर्थित परियोजनाओं, नेट-मीटरिंग परियोजनाओं और ओपन-एक्सेस नवीकरणीय ऊर्जा पहलों में उपयोग किए जाने वाले सोलर PV मॉड्यूल्स को ALMM सूची-II में सूचीबद्ध सोलर सेल्स से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
  - ज्ञातव्य है कि **ALMM फ्रेमवर्क के तहत सूची-I को 2021 में** जारी किया गया था। इसमें अनिवार्य किया गया था कि PV मॉड्यूल्स को केवल सूची-I में शामिल मॉडल्स और विनिर्माताओं से प्राप्त किया जाएगा।
- **छूट:** उन परियोजनाओं को छूट दी गई है, जो **इस आदेश के जारी होने से पहले ही आवंटित** की जा चुकी हैं या फिर जिनकी बोली प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
- **प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देना:** एकीकृत सौर PV मॉड्यूल विनिर्माण इकाइयों में निर्मित थिन-फिल्म सौर मॉड्यूल्स को सूची-II से सौर PV सेल्स का उपयोग करने की आवश्यकता के अनुपालन में माना जाएगा।
- **कार्यान्वयन: 1 जून 2026** से।

भारत के सौर विनिर्माण क्षेत्रक के समक्ष चुनौतियां

- **अपर्याप्त विनिर्माण क्षमता: भारत चीन (62%), वियतनाम, मलेशिया** आदि से सौर उपकरण आयात करता है।
- महत्वपूर्ण खनिजों के खनन और प्रसंस्करण के लिए **किफायती प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच सौर सेल एवं मॉड्यूल उत्पादन में बाधा** डालती है।
- **अन्य:** कम अनुसंधान एवं विकास, कच्चे माल की प्राप्ति में कठिनाई, कुशल श्रमिकों की कमी आदि।

घरेलू सौर विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली पहलें

- उच्च दक्षता वाले सोलर PV मॉड्यूल्स के लिए **उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना** चलाई जा रही है।
- **"सोलर पार्क्स और अल्ट्रा मेगा सोलर पॉवर परियोजनाओं के विकास" की योजना को वित्त वर्ष 2025-26** तक बढ़ाया गया है।
- सौर ऊर्जा क्षेत्रक में **स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** की अनुमति है।
- **अन्य:** घरेलू सामग्री आवश्यकता (DCR) को बढ़ावा देना; सोलर PV सेल्स और मॉड्यूल्स के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क लगाना आदि।

अन्य सुर्ख़ियां

चैंपियंस ऑफ अर्थ अवॉर्ड, 2024

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने चैंपियंस ऑफ अर्थ अवॉर्ड, 2024 के विजेताओं की घोषणा की।

- **2024 की लाइफटाइम अचीवमेंट श्रेणी** में यह पुरस्कार भारतीय पारिस्थितिकीविद् **माधव गाडगिल** को दिया गया है।
  - उन्हें यह पुरस्कार अनुसंधान और सामुदायिक संपर्क के माध्यम से **मनुष्यों एवं पृथ्वी की रक्षा** करने के लिए प्रदान किया गया है।
- श्री गाडगिल भारत के **पारिस्थितिक रूप से नाजुक पश्चिमी घाट क्षेत्र में** अपने संरक्षण कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं।
  - पश्चिमी घाट एक विशिष्ट **वैश्विक जैव-विविधता** हॉटस्पॉट है।

चैंपियंस ऑफ अर्थ अवॉर्ड के बारे में

- यह **संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान** है। इसकी **शुरुआत 2005** में हुई थी। तब से यह **पुरस्कार हर साल** दिया जाता है।
- 2024 का पुरस्कार **भूमि को वापस उपजाऊ बनाने, सूखा-प्रतिरोधी बनाने और मरुस्थलीकरण को रोकने** के लिए अभिनव एवं संधारणीय समाधानों पर कार्य करने वाले **व्यक्तियों व संगठनों** को दिया गया है।
- **यह पुरस्कार निम्नलिखित चार श्रेणियों में दिया जाता है:**
  - नीतिगत नेतृत्व (Policy Leadership),
  - प्रेरणा और कार्रवाई (Inspiration and Action),
  - उद्यमशील दृष्टिकोण (Entrepreneurial Vision), तथा
  - विज्ञान और नवाचार (Science and Innovation).

तटों का सख्त होना (Coastal Hardening)

एक अध्ययन के अनुसार, **विश्व के लगभग 33% रेतीले समुद्र तट सख्त** हो गए हैं।

- इस मामले में **बंगाल की खाड़ी पहले स्थान** पर है। रिपोर्ट के अनुसार **बंगाल की खाड़ी के 84% तट सख्त** हो गए हैं।

'तटों का सख्त होना' क्या है?

- यह वास्तव में **इंसानों द्वारा बनाई गई सख्त और अर्ध-अभेद्य संरचनाओं** को कहा जाता है। इससे **तटों की प्राकृतिक बनावट बिगड़** जाती है।
  - इससे **समुद्री जल का वापस भूमि पर आना अवरुद्ध** हो जाता है। साथ ही, स्थलीय क्षेत्रों की ओर रेतीले समुद्री तटों का बनाना भी प्रभावित होता है।
  - ऐसे संरचनाओं में **सी-वॉल (समुद्री भित्ति), बंदरगाह, सड़कें, राजमार्ग, रेलवे रिवेटमेंट जैसी अभेद्य अवसंरचनाएं** शामिल हैं।
- **दुष्प्रभाव:**
  - जैव विविधता में कमी आती है;
  - पारिस्थितिकी-तंत्र की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है, जैसे कि मत्स्य उत्पादन कम हो जाना;
  - पारिस्थितिकी समुदाय में परिवर्तन हो जाता है, जो आक्रामक प्रजातियों के अनुकूल हो सकता है;
  - रेतीली तट-रेखा को नुकसान पहुंचता है, आदि।

लोक अदालत

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष के अनुसार 2024 में NALSA द्वारा आयोजित **3 राष्ट्रीय लोक अदालतों के जरिए 7 करोड़ 70 लाख से अधिक मामलों का निपटारा** किया गया।

- **राष्ट्रीय लोक अदालत** पूरे देश में **एक ही दिन में नियमित अवधि पर आयोजित** की जाने वाली लोक अदालतें हैं। इनमें **सुप्रीम कोर्ट से लेकर तालुका स्तर तक की सभी अदालतें** मामलों की सुनवाई करती हैं।

लोक अदालतों के बारे में

- लोक अदालत एक **वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र** है। इन अदालतों में **सिविल या क्रिमिनल** लंबित मामलों या मुकदमा शुरू होने से पहले मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा या समझौता किया जाता है।
- इन्हें **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987** के तहत **सांविधिक दर्जा** दिया गया है।
- इनका **निर्णय अंतिम और बाध्यकारी** माना जाता है। इनके निर्णय के खिलाफ **कोई अपील नहीं** की जा सकती है।
- इन्हें **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908** के तहत सिविल कोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त हैं।
- **पहली लोक अदालत 1982 में गुजरात के जूनागढ़ में** आयोजित की गई थी।

राज्य सभा के सभापति को पद से हटाने की प्रक्रिया

विपक्षी दलों ने राज्य सभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रस्ताव किया है।

- संविधान के **अनुच्छेद 64** के अनुसार, **भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति** होगा।

उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया के बारे में

- **नोटिस अवधि:** पद से हटाने का संकल्प पेश करने से पहले **14 दिन का नोटिस** दिया जाना होता है। इस नोटिस में हटाने के बारे में स्पष्ट उल्लेख किया गया होना चाहिए।
- **प्रस्ताव पारित करना:** अनुच्छेद 67(B) के अनुसार, उपराष्ट्रपति को राज्य सभा द्वारा उसके **सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प और लोक सभा द्वारा साधारण बहुमत से उस संकल्प पर सहमति जताकर** पद से हटाया जा सकता है।
- जहां संविधान में राष्ट्रपति को हटाने के आधारों का उल्लेख किया गया है, वहीं **उपराष्ट्रपति के मामले में आधारों का उल्लेख नहीं** किया गया है।

T+0 निपटान चक्र

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI/ सेबी) ने वैकल्पिक T+0 रोलिंग निपटान चक्र के दायरे का विस्तार किया है।

- **31 दिसंबर** को मार्केट कैप (बाजार पूंजी) के आधार पर **शीर्ष 500 शेयरों** के लिए वैकल्पिक T+0 निपटान चक्र उपलब्ध होगा।

T+0 निपटान चक्र के बारे में

- T+0 निपटान **फंड और प्रतिभूति लेन-देन दोनों को ट्रेड यानी खरीद-बिक्री के दिन ही निपटाने की अनुमति** देता है।
  - इसके तहत शेयर्स ट्रेड डेट पर ही निवेशक के खाते में जमा कर दिए जाते हैं।
  - विक्रय लेन-देन में, धन उसी दिन विक्रेता के खाते में जमा कर दिया जाता है।
- **यह सभी निवेशकों के लिए उपलब्ध है और फिलहाल वैकल्पिक है।**

INS तुशिल

INS तुशिल (F 70) को **रूस के कलिनिनग्राद में भारतीय नौसेना में शामिल** किया गया।

INS तुशिल के बारे में:

- यह एक **उन्नत क्रिवाक III श्रेणी का युद्धपोत और प्रोजेक्ट 1135.6 का 7वां पोत** है।
  - प्रोजेक्ट 1135.6 में सेवा में 6 पोत शामिल हैं, जिनमें **रूस** में निर्मित **तलवार श्रेणी** और **तेग श्रेणी** के तीन-तीन पोत सम्मिलित हैं।
- **यह ब्रह्मोस मिसाइल जैसे हथियारों से लैस बहुउद्देश्यीय स्टील्थ-निर्देशित मिसाइल युद्धपोत** है।
- यह एक **उन्नत गैस टरबाइन प्रणोदन संयंत्र** द्वारा संचालित है और **30 समुद्री मील से अधिक की गति से यात्रा** कर सकता है।

प्राप्य प्रतिभूतिकरण (Receivables Securitization)

MSMEs के बीच नकदी या लिक्विडिटी प्राप्ति के साधन के रूप में 'प्राप्य प्रतिभूतिकरण' की लोकप्रियता बढ़ रही है।

प्राप्य प्रतिभूतिकरण के बारे में

- प्राप्य प्रतिभूतिकरण एक नकदी जुटाने की **वित्तीय प्रक्रिया** है। इसमें कंपनियां अपने **उत्पाद की बिक्री के लिए भविष्य में प्राप्त होने वाली पेमेंट के बदले इनवॉइस** जारी करती हैं। फिर इसी **इनवॉइस को पूंजी बाजार में प्रतिभूतियों के रूप में बेचती** हैं। इससे उन्हें तुरंत नकदी प्राप्त हो जाती है।
  - कंपनियां अपने प्राप्यों **को एकत्र** करके उन्हें किसी **तीसरे पक्ष को हस्तांतरित** करती हैं। यह तीसरा पक्ष **प्रतिभूतियों को जारी करके** कंपनी को वित्त प्रदान करता है। फिर वह तीसरा पक्ष इन प्रतिभूतियों को वित्तीय बाजारों में निवेशकों को बेचता है।
- **महत्त्व:** यह MSMEs को अपने उत्पादों की बिक्री के बाद **बकाया भुगतान की समस्या से निपटने और नकदी की शीघ्र जरूरत को पूरा करने में मदद** करता है।

अर्द्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT)

ICRISAT को सौर ऊर्जा से चलने वाले **जलकुंभी हार्वेस्टर** के लिए भारत में उसका **पहला औद्योगिक डिजाइन पेटेंट** प्रदान किया गया है।

- **जलकुंभी (Water hyacinth) की समस्या** से जूझ रहे **ग्रामीण कृषि समुदायों के लिए यह हार्वेस्टर व्यावहारिक समाधान** प्रदान करेगा।
  - यह **किफायती होगा, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग** करेगा और **श्रम की बचत** करेगा। इसे **अर्ध-कुशल या अकुशल श्रमिकों द्वारा भी संचालित** किया जा सकेगा।
- जलकुंभी तेजी से बढ़ने वाली **जलीय खरपतवार** है। यह **ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र, मत्स्य पालन और जलमार्गों** के लिए बड़ा खतरा है।

ICRISAT के बारे में

- इसकी **स्थापना 1972** में की गई थी।
- इसका **मुख्यालय भारत में** है।
- यह **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संगठन** है। यह **शुष्क भूमि खेती और कृषि-खाद्य प्रणालियों में सुधार** के लिए कार्य कर रहा है।
  - इन सुधारों के जरिए यह संगठन **एशिया और अन्य क्षेत्रों की शुष्क भूमि में खाद्य संकट, कुपोषण एवं पर्यावरणीय क्षरण को दूर करने के प्रति प्रतिबद्ध** है।

सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व

सी. राजगोपालाचारी (1878-1972)

सी. राजगोपालाचारी (1878-1972)

- देशवासियों ने सी. राजगोपालाचारी को उनकी जयंती पर याद किया।

सी. राजगोपालाचारी के बारे में

- चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म **10 दिसंबर को तमिलनाडु के तोरापल्ली** में हुआ था। उन्हें **'राजाजी'** के नाम से भी जाना जाता है।
- वे एक **देशभक्त, समाज सुधारक, प्रसिद्ध वकील और दक्ष प्रशासक** थे।
- **मुख्य योगदान**
  - **स्वतंत्रता आंदोलन: रोलेट एक्ट विरोध प्रदर्शन, असहयोग आंदोलन, वायकोम सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन** आदि में भाग लिया था।
  - **संविधान निर्माण:** मद्रास से संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुने गए राजाजी ने संविधान निर्माण में योगदान दिया था।
  - **स्वतंत्रता के बाद योगदान:** उन्होंने **1950 तक भारत के अंतिम गवर्नर-जनरल** के रूप में कार्य किया था। राजाजी ने स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था।
- **मूल्य:** देशभक्ति, नेतृत्व, ईमानदारी आदि।

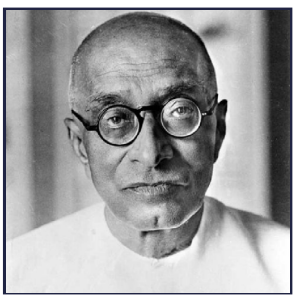

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ़ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची